भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3820

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के लाभार्थी

3820. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तकनीकी मुद्दों के कारण जनवरी 2026 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों की पेंशन का संवितरण कथित तौर पर विलंबित हुआ है या बंद हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी 2026 से एनएसएपी पेंशन के विलंब, अस्वीकृति या गैर-संवितरण के कारण प्रभावित हुए लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है तथा इसके लिए चिन्हित कारणों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त व्यवधान आधार संबंधी मुद्दों, डीबीटी/पीएफएमएस की विफलता, बैंकिंग त्रुटियों, लाभार्थी डेटा के बेमेल होने या किसी अन्य तकनीकी कारणों से हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पात्र वरिष्ठजन व्यक्ति, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति को उनके पेंशन अधिकार से वंचित न किया जाए, पेंशन संवितरण के वैकल्पिक तरीकों के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए निर्देशों सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3,299.93 करोड़ रुपये की राशि

जारी की गई। वर्ष 2026-27 से एनएसएपी के अंतर्गत निधियां एसएनए-स्पर्श तंत्र के माध्यम से जारी की जा रही हैं। इस तंत्र के अंतर्गत, राज्य/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र, एसएनए-स्पर्श पर ऑनबोर्ड होने के पश्चात, मंत्रालय द्वारा जारी मदर सैंक्शन में से निधियों का उपयोग करते हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2026-27 की प्रथम किस्त हेतु 5572.33 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की है।

एनएसएपी को एसएनए-स्पर्श के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने के कारण भुगतान जारी करने में आई अस्थायी कठिनाइयों का विस्तृत परामर्श और तकनीकी सहायता के उपरांत समाधान कर लिया गया तथा वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भुगतान जारी करने की प्रक्रिया बहाल कर दी गई और इस अवधि के दौरान 3,299.93 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(ग) एवं (घ) भुगतान प्रारंभ किए जाने के समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ निर्धारित लाभार्थियों के खातों में जमा हों तथा किसी प्रकार के लीकेज को रोका जा सके, निर्धारित प्रणाली-आधारित सत्यापन जांच की जाती है। जहां कहीं भी भुगतान विफलता की सूचना प्राप्त होती है, वहां संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से उसका तत्काल समाधान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी को इस कारण से उसकी पेंशन से वंचित न किया जाए कि उसका बैंक खाता और/या आधार संख्या निष्क्रिय अथवा फ्रीज है या कोई अन्य तकनीकी कारण हो। मंत्रालय तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

एनएसएपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान/चयन, आवेदनों का सत्यापन, स्वीकृति प्रदान करना, लाभार्थियों के आंकड़ों का रखरखाव/विलोपन तथा लाभार्थियों को पेंशन के अंतिम चरण में संवितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे लाभार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील प्रभावी और सक्रिय रणनीति विकसित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी लाभार्थी को पेंशन से वंचित न किया जाए।
